30

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1107–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–05–2015 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार परगना, जिला–शिवपुरी प्रकरण क्रमांक–17/2014–15/अ–12

.....

1– कमर सिंह पुत्र ठाकुरलाल किरार(मृतक) वारिसान–
   1. भूपेन्द्र सिंह
   2. बीरेन्द्र सिंह
   3. शम्भू सिंह
   4. गिर्राज सिंह, पुत्रगण स्व0 कमर सिंह

2– दयालचन्द्र पुत्र ठाकुरलाल किरार
निवासीगण–ग्राम जामखो, तहसील व जिला–शिवपुरी, म0प्र0

————आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रेमनरायण पुत्र मांगीलाल नाई
निवासी–ग्राम रोनाखेड़ी, तहसील व जिला–शिवपुरी, म0प्र0

2– मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव एवं श्री लाखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/05/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार परगना, जिला–शिवपुरी के आदेश दिनांक 11–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रोनाखेड़ी पटवारी हल्का जामखो तहसील, जिला—शिवपुरी में स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 131 का भूमिस्वामी आवेदक कमर सिंह एवं खसरा नं0 123, 126, 127 के भूमिस्वामी आवेदकगण संयुक्त रूप से भूमिस्वामी है। इसी प्रकार खसरा नं0 122 पर भी आवेदकगण संयुक्त रूप से काबिज है। अनावेदक क्र0 1 ने अपने भूमि सर्वे नं0 121, 122, 132, 133, 134, 135, 136, 137 का सीमांकन हेतु नायब तहसीलदार, शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 17/2014—15/अ—12 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 11.05.2015 द्वारा अनावेदक के पक्ष में सीमांकन आदेश पारित किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवपुरी द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल है। आवेदकगण विवादित भूमि के सरहदी काश्तकार है, ऐसी स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत सूचना दी जाकर सीमांकन कार्यवाही की जाना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवपुरी द्वारा प्रकरण में आवेदकगण को किसी भी प्रकार की सूचना पत्र, स्थल जांच अथवा सीमांकन कार्यवाही की नहीं दी। सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना कार्यवाही आवेदकगण के पीठ पीछे की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सीमांकन की कार्यवाही सरहदी कृषकों के समक्ष सीमांकन कार्यवाही प्रारंभ के पूर्व विधिवत सूचना पत्र दिये जाने के बाद की जाती है। इस प्रकरण में न तो इश्तहार का प्रकाश किया गया और न ही मुनादी कराई गई। यहां तक कि सरहदी काश्तकारों को कोई भी सूचना सीमांकन कार्यवाही की नहीं दी गई और राजस्व निरीक्षक द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 09.05.2015 प्रस्तुत किया था, जिसकी पुष्टि नायब तहसीलदार ने करने में त्रुटि की है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह कहीं नहीं बताया कि अवोदकगण का कब्जा अनावेदक के किस सर्वे नम्बर एवं कितने रकबा पर है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन नितांत अवैध एवं फर्जी है। अतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ शासकीय पैनल अभिभाषक ने अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अनावेदक क्र0 1 प्रेमनारायण पुत्र मांगीलाल द्वारा वादग्रस्त भूमियों का सीमांकन किये जाने बावत आवेदन नायब तहसीलदार, शिवपुरी के समक्ष पेश किया। नायब तहसीलदार, शिवपुरी ने सीमांकन आवेदन के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त–1, तहसील–शिवपुरी, को उक्त वादग्रस्त भूमियों का स्थल सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। नायब तहसीलदार के निर्देश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम रोनाखेड़ी स्थित उक्त विवादित भूमि सर्वे क्र0 121/0.18, 122/0.39 132/9.08, 133/0.20, 134/0.31, 135/0.40, 136/0.08, एवं सर्वे नं0 137/0.15 कुल किता 8 का सीमांकन पंचानों एवं मेड़ियों कृषकों के समक्ष नक्शानुसार दिनांक 09.05.2015 को सीमांकन कर प्रतिवेदन नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 11.05.15 को सीमांकन आदेश पारित किया है। स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर अंकित है। स्पष्ट है। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन पर नायब तहसीलदार के आपत्ति प्राप्त न होने पर सीमांकन की पुष्टि की गई है। सीमांकन कार्यवाही में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार ने विधिवत और न्यायसंगत आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत रसीद एवं पंचनामा के अध्ययन से होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में नायब तहसीलदार, शिवपुरी का आदेश दिनांक 11.05.15 स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,